.....का पेश हुआ।

19/12/24 पत्रावली पेश। आचिवमा प्रार्थी उप०। मूलवाद की आदेशानुसार सभी अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हो चुके है। बावजूद तामील अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी आचिवमा की बहस सुनी गई। बहस एवं मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद बाद ग्रस्त सम्पत्ति में कोई कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे एवं अपने हिस्से को विशेष रूप भाग दर्शाकर बेचान नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER .....

..... at .....

nd of the Case .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
होल्डर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो Pf.	